रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2004.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 10 जनवरी, 2005/20 पौष, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-170002, *the 13th December*, 2004

No. FDS-A (4) 10/2003.—In supersession of this Department notification No FDS-A (4) 2/99 (II), dated 18-12-2003 and in exercise of the powers vested in him under Articles 102 (3), 102 (5) and 102 (7) of the Memorandum of Articles of Association of the H. P. State Civil Supplies Corporation Limited, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Shri Yogesh Khanna, I. A.S., Principal Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh, as Official Director of the Board of Directors of Himachal Pradesh State Civil Supplies Corporation in place of Shri S. S. Parmar, I. A. S. the then Principal Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh, for the period of two years or till the date of holding the present post by him whichever is earlier.

By order,

B. S. CHAUHAN,
Principal Secretary.

3104-राजपत्र/2005-10-1-2005—1,420.

मूल्य : 1 रुपया।

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-9, 1 जनवरी, 2005

संख्या-पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 7/99-01-07.—यह कि ग्राम पंचायत बालीचौकी, विकास खण्ड सराज, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के अंकेक्षण अवधि 4/93 से 3/2001 से सम्बन्धित अंकेक्षण पत्र में श्री श्याम सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत, बालीचौकी के विरुद्ध गम्भीर अनियमितताओं व सरकारी धनराशि के छलहरण के मामले उद्धृत किये गये हैं;

यह कि उक्त अनियमितताओं में संलिप्त पाये जाने के कारण उपायुक्त, मण्डी द्वारा उन्हे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 के अन्तर्गत दिनांक 20-12-2002 को निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया ;

यह कि उन द्वारा दिये गये उक्त नोटिस के उत्तर को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा असंतोषजनक पाये जाने के फलस्वरूप उन्हें दिनांक 1-11-2003 को प्रधान, ग्राम पंचायत, बालीचौकी के पद से निलम्बित किया गया ;

यह कि उपायुक्त, मण्डी द्वारा आरोपों की वास्तविकता जानने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अन्तर्गत आदेश संख्या-पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-6697-6704, दिनांक 25-11-2003 के अन्तर्गत परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण मण्डी, जिला मण्डी को नियमित जांच सौंपी गई।

यह की जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने उपरान्त निम्न तथ्य सरकार के समक्ष आये :—

आरोप संख्या-1 से 3.—दिनांक 8-11-1993 को सहकारी बैंक से ग्राम पंचायत का प्रस्ताव पारित किये बगैर एक अधिकार पत्र जारी कर मु0 10,000/-रु0 की राशि को अपने व्यक्तिगत खाता संख्या-393 मे परिवर्तित कर उक्त राशि का दुरुपयोग किया है । इसी प्रकार दिनांक 29-11-2003 को मु0 40,000/-रु0 की राशि भी सहकारी बैंक, बालीचौकी से निकाली गई। ग्राम पंचायत के अभिलेख के जांच पर पाया गया कि इस राशि की निकासी हेतु पंचायत का प्रस्ताव संख्या-4 पारित था, परन्तु इस प्रस्ताव में मु0 60,000/-रु0 की निकासी प्रस्तावित थी जबकि चैक संख्या-30842 द्वारा मु0 70,000/-रु0 की राशि की निकासी की गई है । पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव में उक्त राशि की निकासी का अधिकार ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी को दिया गया था परन्तु प्रधान (नि0) द्वारा उक्त राशि की निकासी स्वयं की गई और इस राशि का रोकड में अन्द्राज भी नहीं किया गया । इसी प्रकार दिनांक 4-1-1994 को मु0 10,000/रु0 ग्राम पंचायत, बालीचौकी के बचत खाता संख्या-1701 से तथा दिनांक 18-5-1993 को मु0 18,000/-रु0 बचत खाता संख्या 1781 से पंचायत का प्रस्ताव पारित किये बगैर निकासी कर पंचायत को इस राशि की निकासी का कोई उचित प्रमाण न देने तथा रोकड में कहीं भी दर्ज न होने से इस राशि की निकासी का कोई उचित प्रमाण न देने तथा रोकड़ में कहीं भी दर्ज न होने से इस राशि का भी निरन्तर दुरुपयोग किया जाता रहा है । इस प्रकार कुल मु0 78,000/-रु0 की राशि ग्राम पंचायत बालीचौकी के बचत खाता में से पंचायत प्रस्ताव पारित किये बगैर स्वेच्छा से निकासी कर उपरोक्त राशि के दुरुपयोग के दोषी पाये गये है।

आरोप संख्या 4.—पंचायत अभिलेख के अनुसार श्री श्याम सिंह के पास दिनांक 31-7-2004 को मु0 6827.25 पैसे बतौर अग्रिम राशि सीमेंट आदि खरीदने हेतु शेष पाई गई, मगर उक्त राशि का सदुपयोग

नहीं किया गया तथा लम्बे अरसे के उपरान्त दिनांक 25-11-2004 को बैंक में जमा कर दिया गया । अतः उन द्वारा दिनांक 31-7-1994 से दिनांक 25-11-2000 तक मु0 6827.25 की राशि को अनाधिकृत रूप से अपने पास रख कर दुरुपयोग किया गया है ।

आरोप संख्या. – 5.—दिनांक 24-2-1994 को मु0 5000/-रु0 की राशि श्री केसर सिंह सुपुत्र श्री परमानन्द को बिना किसी प्रयोजन के अदायगी की गई है ।

आरोप संख्या 6.—दिनांक 24-2-2000 को मारकण्डा शा-मिल (जिसके मालिक श्री श्याम सिंह स्वयं है) के नाम मु0 5000/- रु0 की राशि का बिल इमारती लकड़ी अपनी शामिल से जारी करके अदायगी दर्शा कर पंचायत से लाभ उठाने की चेष्टा की है।

यह कि उपरोक्त जांच रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन करने उपरान्त श्री श्याम सिंह द्वारा सरकारी धनराशि का दुरुसयोग व अनियमितताओं में संलिप्त होना सिद्ध पाया गया। जिसके फलस्वरूप उन्हें सरकार द्वारा दिनांक 15-9-2004 को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अन्तर्गत प्रधान पद से निष्कासित करने से पूर्व उन्हें निष्कासनार्थ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया ।

यह कि श्री श्याम सिंह द्वारा प्रस्तुत उक्त कारण बताओ नोटिस के उत्तर से सरकार सन्तुष्ट नहीं हुई, क्योंकि उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है। अतः श्री श्याम सिंह को प्रधान, ग्राम पंचायत बालीचौकी, विकास खण्ड सराज के पद से निष्कासित करने का निर्णय लिया गया है ।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के मध्य नजर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उन शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अन्तर्गत प्रदत्त हैं, श्री श्याम सिंह प्रधान, ग्राम पंचायत, बाली चौकी को प्रधान पद से निष्कासित किया जाता है तथा उन्हे छः वर्ष की कालावधि के लिए पंचायत के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए निरर्हित किया जाता है ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-,
सचिव (पंचायती राज) ।

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Shimla-2, *the* 30*th December*, 2004

No. PBW(B&R)3(6)17/2003.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint, Dr. D. P. Gupta, (Retd. D. G., Ministry of Road Transport & Highways) as Consultant to assist the Chief Quality Monitors (State Quality Monitors) for preparation of road policy, preparation of project reports for technical assistance, preparation of revised core network etc.

The terms and conditions for his appointment as Consultant will be decided separately.

Shimla-2, *the* 30*th December*, 2004

No. PBW(B&R)3(6)17/2003.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the following as State Quality Monitors (now designated as Chief Quality

Monitors) for inspection and monitoring of various works under PMGSY, NABARD, CRF and National Highways etc. and they will submit their observations and suggestions to the concerned E-in-C/Zonal Chief Engineer and Chief Engineer (Quality & Design) regarding improvement in system and quality implementation of various programmes:—

1. Shri Satish Sagar, Chief Engineer (Retd.).

2. Shri J. S. Roorkee, Chief Engineer (Retd.).

These Chief Quality Monitors are appointed on the following conditions:—

1. The Chief Quality Monitors (CQM) will be paid on the same lines being paid to the National Quality Monitors subject to condition that the maximum ceiling shall be Rs. 15,000/- per month as D.A. for inspection, journey days and honorarium.

2. Inspection programme for each Chief Quality Monitor (CQM) will be drawn and issued by respective Zonal Chief Engineers one month in andvance with copies to concerned S.Es. and Divisions. XEN will invariably accompany Chief Quality Monitors during inspections and as far as possible Superintending Engineers shall also accompany particularly during inspection of works which Superintending Enginees have not inspected earlier.

3. The CQMs will send their reports to concerned Executive Engineers, S.Es., Zonal Chief Engineers and Chief Engineer (Design and Quality). Important issues needing attention at State level, including non-compliance of observations of CQM will be brought to the notice of Secretary PWD.

4. Government vehicles will be provided by the concerned SE/division and SE(Design) of Zonal Chief Engineer will be coordinating agency.

5. The CQM will recommed technical as well as administrative measures to Secretary PWD where concerned SE ond XEN fail to follow the prescribed quality processes/standard and also fail to take up follow up action as per their observations.

In addition to above, both the Chief Quality Monitors are assigned the work of preparation of road policy, preparation of project reports for technical assistance, preparation of revised core network etc.

By order,

Sd/-
Principal Secretary.

REVENUE (PROJECT CELL) DEPARMENT

NOTIFICATIONS

Shimla 2, *the* 1*st January,* 2005

No. Rev. (PD) A (4)-6/2003.—In continuation to this Department Notification of even No. dated 17-10-2003, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate the

following as non-official members to the State Level Pong Dam Oustees Rehabilitation and Advisory Committee for the remaining period :—

1. Smt. Viplove Thakur, Ex. M. L. A. Village Mahala, P. O. Jandour, Tehsil Jaswān, District Kangra (H. P.).
2. Shri Krishan Singh s/o Sh. Narangu Ram, VPO Panjartha, Tehsil Nurpur, District Kangra (H. P.).
3. Sh. Sushil Mintoo, President, Youth Congress, Nurpur & Pradhan GP Kamnala, Tehsil Nurpur, District Kangra (H. P.).
4. Sh. Prakash Chand, Rotd. Tehsildar, VPO Panjartha, Tehsil Nurpur, District Kangra (H. P.).
5. Sh. Pyare Lal s/o Sh. Kundan Lal, Village Sujal, P. O. Raja-ka-Talab, Tehsil Nurpur, District Kangra (H. P).
6. Sh. Manohar Lal (Pong Dam Oustee), VPO Talara, Tehsil Nurpur, District Kangra (H. P.).

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order that the other terms and conditions, as shown in the above mentioned Notification, remaining uncharged and shall apply to these non-official members also as it is.

Shimla-171002, *the 4th January*,2005

No. REV (PD) A (4)-6/2003.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to delete the name of Shri Vijay Singh Mankotia mentioned at serial No. 5 in this department Notification of even No. dated 17-10-2003 whereby State Level Pong dam Oustees Rehabilitation and Advisory Committee was re-constituted. Shri Chander Kumar (Serial No. 4) will continue as such in the capacity of Hon'ble member of Parliament. The terms and conditions as shown in the above mentioned Notification dated 17-10-2003, remains unchanged.

By order,

Sd/-
FC-cum-Secretary.

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 दिसम्बर, 2004

संख्या टी0 सी0 पी0-एफ (5)-11/2004.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का 12) की धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेशक, नगर और ग्राम योजना, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-19 के अधीन तैयार हमीरपुर क्षेत्र, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के लिए विकास योजना का बिना किसी उपांतरण के अनुमोदन कर दिया है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग रूल्ज, 1978 के रूल्ज 10(2) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित हमीरपुर योजना क्षेत्र की विकास योजना को प्रकाशित करते हैं और सूचित करते हैं कि उक्त विकास योजना की प्रति का कार्यालय समय के दौरान निम्नलिखित अधिकारियों के कार्यालयों में निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :—

1. सचिव (नगर और ग्राम योजना),
   हिमाचल प्रदेश सरकार ।

2. निदेशक,
   नगर और ग्राम योजना विभाग,
   हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

3. नगर एवं ग्राम योजनाकार,
   मण्डलीय नगर योजना कार्यालय, हमीरपुर,
   जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव (नगर और ग्राम योजना)

[*Authoritative English text of this Department Notification No. TCP-F* (5)-11/2004 *dated* 27-12-2004 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th December, 2004

No. TCP-F (5)-11/2004.—Whereas the Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 20 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) has approved the Development Plan for Hamirpur Planning Area District Hamirpur, Himachal Pradesh prepared by the Director Town and Country Planning Himachal Pradesh under section-19 of the said Act without any modifications;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 20 of the said Act, read with rule 10(2) of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 1978, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to publish the Development Plan for Hamirpur Planning Area as approved by the State Government and gives the notice that a copy of the said development Plan may be inspected in the offices of the following Officers during office hours, namely :—

1. Secretary (TCP) to the
   Government of Himachal Pradesh.

2. The Director,
   Town and Country Planning Department,
   Himachal Pradesh, Shimla-171009.

3. Town and Country Planner,
Divisional Town Planning Office, Hamirpur,
Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh.

By order,

Sd/-
Secretary (TCP).

TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 31st December, 2004

No. TBD (A) 4-1/2004.—In continuation of Additional Secretary (Welfare) to the Government of Himachal Pradesh notification No WLF-A (4)-3/2003, dated 15th September, 2003 regarding constitution of Gujjar Kalyan Board the addresses appearing at Sl. No. 26, 44 and 70 of non-official members may please be substituted here as under :—

Sl. No. 26	Shri Ibrahim s/o Shri Moosa, Pradhan G. P. Jadera, District Chamba (H. P.).
Sl. No. 44	Shri Joosafdeen s/o Shri Ditoo, VPO Bhadroa, Tehsil Nurpur, District Kangra, Himachal Pradesh.
Sl. No 70	Shri Amarjeet s/o Shri Sriram, Vill. Kadhlag, P. O. Badhaghat, Tehsil Ghumarwin, Disrict Bilaspur, (H. P.).

By order,

SUBHASH C. NEGI,
Principal Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित